

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाए-3क(2)/अराज0/239 /2022-23 दिनांक 21 जुलाई, 2022

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा जारी समय सारिणी के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/1069-75/स्थानान्तरण/2022-23 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-17(1)(ख)(एक) (गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांगता के आधार पर अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	नीरजा वर्मा	कला	रा0क0उ0मा0वि0 सिनौड़ा अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 गदरपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
2.	राखी गोस्वामी	गणित	रा0क0उ0मा0वि0 होराली, बागेश्वर	रा0क0उ0मा0वि0 बाबरखेड़ा उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
3.	गंगा काण्डपाल	व्यायाम	रा0क0इ0का0 देवायल अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 हल्द्वानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति


- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक की स्वयं की होगी।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पू0सं0/सेवाए-3क(2)/अराज0/3315 /2022-23 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कौषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पत्रिका।


मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 240

/2022-23 दिनांक 21 जुलाई, 2022

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा जारी समय सारिणी के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/1069-75/स्थानान्तरण/2022-23 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-17(1)(ख)(दो) **(मानसिक रूप से विकृष्ट एवं लाचार बच्चों के माता-पिता द्वारा अनुरोध)** में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
I.	श्रीमती सुमन	कला	रा0बा0इ0का0 खेतीखान पाटी चम्पावत	रा0क0इ0का0 दिनेशपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक की स्वयं की होगी।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण चुट्टि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पु0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 3327-39

/2022-23 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पत्रिका।


मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/241 /2022-23 दिनांक 21 जुलाई, 2022

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण


उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा जारी समय सारिणी के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/1069-75/स्थानान्तरण/2022-23 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-17(1)(ख)(चार) (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	श्रीमती कमलेश डोवाल-स0अ0एल0टी0	गृह विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 बजेटी पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
2.	ममता रानी स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 बांगीघार अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 काशीपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
3.	विनीता कोहली स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 रावतसेरा बागेश्वर	रा0क0इ0का0 बेरीनाग पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
4.	श्रीमती गरिमा पाण्डेय स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 उम्प्याड़ी, अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 रामनगरवन उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
5.	श्रीमती रितु शर्मा स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 मानिला अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 काशीपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
6.	श्रीमती नीता सिंह स0अ0एल0टी0	कला	रा0वा0इ0का0 चमदेवल, चम्पावल	रा0क0इ0का0 गढ़ीनेगी उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
7.	श्रीमती पूर्णिमा चौधरी स0अ0एल0टी0	गृह विज्ञान	रा0वा0इ0का0 बग्वालीपोखर, अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 नगला उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
8.	भावना अग्रवाल स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0उ0मा0वि0 गढ़ीनेगी जसपुर उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 काशीपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
9.	श्रीमती नीतू जोशी स0अ0एल0टी0	व्यायाम	रा0वा0इ0का0 नमजला, पिथौरागढ़	रा0क0उ0मा0वि0 रावतसेरा बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
10.	सुमन सती स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0वा0इ0का0 दन्या अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 दौलाघट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
11.	श्रीमती गीता आर्या स0अ0एल0टी0	गृह विज्ञान	रा0वा0इ0का0 नमजला पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 ऐंचोली, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
12.	श्रीमती गीता नेगी स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0इ0का0 बग्वालीपोखर, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 धौलाखेड़ा हल्द्वानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

13.	श्रीमती रश्मि भारती स०अ०एल०टी०	गणित	रा०बा०इ०का० कोटाबाग, नैनीताल	रा०क०इ०का० काशीपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
14.	श्रीमती आरती राना स०अ०एल०टी०	गणित	रा०वा०इ०का० उन्हाड़ी, अल्मोड़ा	रा०क०इ०का० खटीमा उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
15.	लक्ष्मी कोरंगा स०अ०एल०टी०	सामान्य	रा०वा०इ०का० दोफाड़ बागेश्वर	रा०क०इ०का० सुल्तानपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
16.	प्रीति जोशी स०अ०एल०टी०	गणित	रा०वा०इ०का० जसपुर उधमसिंहनगर	रा०क०इ०का० खटीमा उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
17.	रश्मि सेन स०अ०एल०टी०	सामान्य	रा०क०उ०मा०वि० सिनौड़ा अल्मोड़ा	रा०क०इ०का० शक्तिफार्म, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
18.	तनुजा रौतेला स०अ०एल०टी०	सामान्य	रा०वा०इ०का० बनबसा धम्पावत	रा०क०इ०का० खटीमा उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स०अ०एल०टी०) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स०अ०एल०टी०) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
 - II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक की स्वयं की होगी।
 - IV- पति-पत्नी के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व पति-पत्नी का उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र एवं जिस विद्यालय में सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण किया जा रहा है उक्त विद्यालय उनके पति अथवा पत्नी के कार्यरत विकास खण्ड के अन्तर्गत ही संचालित हो, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। अन्यथा की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय।
 - V- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।


 (लीलाधर व्यास)
 मण्डलीय अधीक्षक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल


पू०स०/सेवाए-3क(2)/अराज०/ 3340-51

/ 2022-23 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/242

/2022-23 दिनांक 21 जुलाई, 2022

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा जारी समय सारिणी के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/1069-75/स्थानान्तरण/2022-23 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-17(1)(ख)(पाँच) (विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	नीतू रीतेला	व्यायाम	रा0बा0इ0का0 बेरीनाग, पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2.	श्रीमती रचना बर्गली	सामान्य	रा0वा0उ0मा0वि0 रामनगर उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
3.	श्रीमती हेमा जोशी	गणित	रा0बा0इ0का0 लोहाघाट बम्पावत	रा0क0इ0का0 भीमताल नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4.	शकुन्तला जयाल	गृह विज्ञान	रा0बा0इ0का0 काण्डा बागेश्वर	रा0क0इ0का0 एन0टी0डी0 अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
5.	ललिता देवी	हिन्दी	रा0क0उ0मा0वि0 रावतसेरा बागेश्वर	रा0क0इ0का0 पन्तनगर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
6.	रागिनी गुड़िया	कला	रा0क0इ0का0 सोमेश्वर, अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 बावरखेड़ा उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
7.	यशोविद्या जोशी	संस्कृत	रा0क0उ0मा0वि0 रावतसेरा बागेश्वर	रा0क0इ0का0 सितारगंज उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
8.	श्रीमती हेमलता उपाध्याय	गणित	रा0बा0इ0का0 बग्वालीपोखर, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 सुल्तानपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।



क्रमशः पृष्ठ 2.....

- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई गिनता होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक की स्वयं की होगी।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(लीलाधर व्यास)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/3352-63

/2022-23 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कौषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- रिता एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यनुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश प्रंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 243 /2022-23 दिनांक 21 जुलाई, 2022

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा जारी समय सारिणी के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/1069-75/स्थानान्तरण/2022-23 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-17(1)(ख)(छः) (दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	दीपा विष्ट	गृह विज्ञान	रा0क0इ0का0 सारकोट अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 भटेलिया, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्त्र कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्त्र यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षको द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक की स्वयं की होगी।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल


पु0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 3364-75 /2022-23 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

क्रमशः पेज 2.....

- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- परिष्कृत कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्ता/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पत्रिका।


मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल